कार्यालय :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

पत्रांक:– 466 दिनांक:– 5.6.15

सेवा में,

प्रधान सचिव,
वन एवं पर्यावरण,
झारखण्ड, राँची।

विषय :– गुमला जिलान्तर्गत मौजा–बनालात में C.R.P.F Camp का निर्माण हेतु 1.60 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़ी) अपयोजन का प्रस्ताव।

प्रसंग :– वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का (i) पत्रांक 939 दिनांक 02.06.2015 (ii) पत्रांक 948 दिनांक 04.06.2015

महाशय,

प्रासंगिक पत्र 01 द्वारा विषयगत परियोजना हेतु प्रस्ताव की चार प्रतियाँ इस कार्यालय में प्राप्त हुआ था, जिसमें कतिपय त्रुटियाँ थी। इसके निराकरण हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 452 दिनांक 04.06.2015 द्वारा वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला से वांछित प्रतिवेदन की मांग की गयी थी। तदोपरान्त वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के प्रासंगिक पत्र 2 द्वारा 5 बिन्दुओं पर मांगे गये वांछित प्रतिवेदन का निराकरण भेजा गया है। विषयगत परियोजना राज्य सरकार की महत्वपूर्ण परियोजना है। अतः प्रस्ताव की दो प्रतियाँ इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है। वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला के प्रतिवेदनानुसार प्रस्ताव के संबंध में वस्तुस्थिति निम्नवत् है :–

1. यह प्रस्ताव गुमला जिला के लोहरदगा वन प्रमंडल अन्तर्गत अवस्थित है।
2. यह प्रस्ताव Non site specific प्रस्ताव है।
3. इस प्रस्ताव में सम्पूर्ण 1.60 हे0 जंगल–झाड़ वनभूमि अंतर्निहित है।
4. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि पर प्रभावित होने वाली वृक्षों की गणना सूची संलग्न है। कुल वृक्षों की संख्या 11 है।
5. प्रस्तावित वनभूमि की विस्तृत विवरणी निम्नवत् है :–

वन प्रमंडल का नाम	मौजा	थाना / नं0	प्लॉट नं0	अधिसूचित वनभूमि की रकबा (हे0 में)	जंगल–झाड़ की रकबा (हे0 में)	कुल रकबा (हे0 में)	वनस्पति घनत्व
लोहरदगा	बनालात	विशुनपुर / 10	982	NIL	1.60	1.60	0.2

6. इस परियोजना में प्रयुक्त 1.60 हे0 जंगल–झाड़ वनभूमि उपयोग के संबंध में उपायुक्त गुमला के पत्रांक 435 दिनांक 09.04.2015 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
7. चुँकि प्रस्तावित रकबा 5 हे0 से कम है। अतः इस परियोजना हेतु Cost benefit Analysis की आवश्यकता नहीं है।

8. प्रस्ताव के साथ मौजा बनालात का कैडस्ट्रल मैप संलग्न है।

9. 1:50,000 के स्केल पर टोपोशीट पर प्रस्तावित क्षेत्र को रेखांकन कर मैप प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

10. प्रस्ताव के साथ ग्राम सभा की रिजोलूशन की प्रति संलग्न है।

11. प्रस्तावित भवन का Layout Plan संलग्न है।

12. Item wise break up of land के संबंध में प्रयोक्ता अभिकरण के Part I Form A के कंडिका–2 में उल्लेख है।

13. FRA 2006 के तहत् संबंधित उपायुक्त गुमला के पत्रांक 642 दिनांक 28.05.2015 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है। अनु0– F

14. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Form A, Part I में आवश्यक सूचना दर्ज कर आवेदन समर्पित किया गया है।

15. प्रस्ताव के साथ Part II, III में क्रमशः वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा, वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, गुमला का मंतव्य सहित आवश्यक सूचना दर्ज है। साथ ही वन प्रमंडल पदाधिकारी, लोहरदगा का स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन भी संलग्न है। चुँकि यह प्रस्ताव Online से संबंधित है, अतः Part IIIA में क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची द्वारा भरने की वैधता नहीं है, परन्तु वन संरक्षक, गुमला द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची से वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के आलोक में संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर लिए जाने की सूचना दी है।

16. N.P.V की राशि भुगतान करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण का वचनबद्धता प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

17. प्रस्ताव के साथ प्रस्तावित वनभूमि का Geo reference digital plan shape file में संलग्न है।

18. भारत सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार प्रस्ताव को भारत सरकार के website पर अपलोड किया गया है। Acknowledgement slip प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जा रहा है तथा इस स्तर से भी वन विभागीय पत्रांक 4542 दिनांक 08.10.2014 के आलोक में प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची से संचिका पर अनुमोदन प्राप्त कर इसे Web site पर अपलोड कर दिया गया है।

19. प्रस्ताव के संबंध में C.W.L.W झारखण्ड, राँची का मंतव्य उनके पत्रांक 640 दिनांक 04.06.2015 द्वारा प्राप्त है, जो प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

20. प्रस्ताव के साथ प्रयोक्ता अभिकरण हेतु दोगुणा अवकृष्ट वनभूमि का ब्यौरा नहीं दिया गया है, दिशा निर्देश के अनुसार इस परियोजना हेतु इसकी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह परियोजना LW.E जिला से संबंधित है तथा 5 हे0 से कम है।

21. वन प्रमंडल पदाधिकारी द्वारा Part II के अनुसार इस परियोजना में किसी का विस्थापन होने की सूचना नहीं है। साथ ही वन संरक्षण अधिनियम के उल्लंघन होने की भी सूचना नहीं है।

22. यह परियोजना किसी नेशनल पार्क, वन्यप्राणी आश्रयणी बायोस्फेयर, व्याघ्र परियोजना एवं गज कोरीडोर का हिस्सा नहीं है।

23. जिले एवं वन प्रमंडल से संबंधित मूलभूत सूचनायें प्रस्ताव के साथ संलग्न है।

यह परियोजना गुमला जिला में अवस्थित है तथा 5 हे0 से भी कम है। भारत सरकार के पत्र संख्या 11-9/98-FC दिनांक 13.05.2011 एवं दिनांक 10.10.2012 द्वारा गुमला जिला L.W.E के रूप में संसूचित है। अतः उक्त पत्र के आलोक में इस परियोजना की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार सक्षम है। प्रस्ताव की दो प्रतियाँ संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि विषयगत परियोजना प्रस्ताव हेतु 1.60 हे0 वनभूमि (जंगल–झाड़) अपयोजन की स्टेज-I की स्वीकृति हेतु अग्रतर कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

<u>अनु0:–यथोक्त।</u>
प्रस्ताव की दो प्रतियाँ

विश्वासभाजन
5/6/2015
प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक
बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची।

5.6.15

D:\SUNIL\Proposal (K)\Police Picket\ Hakaiang (1.00 ha). 30.04.15